अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 889(अ).— केन्द्रीय सरकार भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा .....की उपधारा (50) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) प्राधिकरण – वित्तीय और प्रबंधकीय शक्तियां नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम'' से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां** - अध्यक्ष को साधारण वित्तीय नियम, 2005, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 मूल नियम, पूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्य ग्रहण की अवधि) नियम, 1979, सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के संबंध में विभाग के प्रधान के रूप में प्रदत्त शक्तियों के समान शक्तियां होंगी : और अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

[फा. सं. टीएफसी/15/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव